

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

संकल्प 05.01.15

पत्रांक:

09

/पटना, दिनांक:-

सं०सं०- डी०टी०डी०/०२-०४/२०१०

औद्योगिक प्रोत्साहन(संशोधन) नीति, बिहार, २०१४

राज्य के त्वरित औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, २०११ लागू की गई है, जो दिनांक ०१.०७.११ से अगले ५ वर्षों तक अर्थात् दिनांक ३०.०६.२०१६ तक प्रभावी है। इस नीति के प्रावधान के अधीन मध्यावधि समीक्षा की गई जिसके आलोक में राज्य सरकार, बिहार एतद द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, २०११ में संकल्प निर्गत करने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करती है:-

1. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-२०११ की कंडिका-३(ii)(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-  
(ग) " भूमि सम्पत्तिवर्तन शुल्क में १०० प्रतिशत की छूट "उत्पादन पूर्व देने" का प्रावधान इस शर्त के साथ होगी कि यदि कोई इकाई भूमि सम्पत्तिवर्तन के बाद उत्पादन में नहीं आती है तो भूमि सम्पत्तिवर्तन शुल्क सूद के साथ लौटाना होगा। इकाई को भूमि सम्पत्तिवर्तन छूट के समतुल्य राशि का बैंक गारंटी समर्पित करना होगा। इकाई के उत्पादन में आने के बाद बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।"
2. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-२०११ की कंडिका-३ की उप कंडिका- (iii) के बाद निम्नलिखित तीन नई उप कंडिकाएँ-(iv), (v) एवं (vi) जोड़ी जाएंगी:-

"(iv) कार्यरत इकाइयों के लिए वैट/प्रवेश-कर की प्रतिपूर्ति की अधिसीमा पूँजी निवेश का ३०० प्रतिशत तक देय होगा। ब्रिचरी एवं डिस्टलरी के केस में कार्यरत इकाइयों को २५ प्रतिशत वैट की प्रतिपूर्ति एवं अधिकतम सीमा पूँजी निवेश का ३०० प्रतिशत देय होगा। जिन इकाइयों ने विनिश्चित सीमा से अधिक लाभ पूर्व में ले चुके हैं, उनसे पुनः वसूली नहीं की जाएगी।

(v) वैसी नई इकाइयाँ जिनका कुल पूँजी निवेश २०० करोड़ रु० से कम है, उनके द्वारा सी०एस०टी० मद में भुगतान की गई राशि को वैट की ८० प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी लेकिन यह वैट प्रतिपूर्ति राशि विनिश्चित अधिकतम राशि पूँजी निवेश के ३०० प्रतिशत की सीमा के भीतर देय होगी।

बृहत् प्रक्षेत्र की नई औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन में आने के बाद, प्रवेश-कर मद में भुगतान की गई राशि को, वैट की ८० प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति में सम्मिलित की जाएगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि पूँजी निवेश का ३०० प्रतिशत की सीमा के भीतर देय होगी।

(vi) वैसी औद्योगिक इकाई जिन्हें वैट नहीं देना पड़ता है लेकिन उत्पादन के लिए मंगाए गए कच्चे माल पर प्रवेश-कर लगता है, उन्हें प्रवेश-कर में भुगतान की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।"

3. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-2 (vii) (क) में प्रयुक्त शब्दों "जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु0(पचहत्तर लाख रु0) होगी" विलोपित किए जाएंगे।

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-2 की उप कंडिका-(vii)(घ) के बाद निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा:-

" परन्तु औद्योगिक इकाइयों में स्थापित होने वाले प्लान्ट एवं मशीनरी के अतिरिक्त उत्पादन में सीधे तौर पर उपयोग होने वाले सभी इक्वुपमेन्ट पर पूँजीगत अनुदान देय होगी, जिनके क्रय हेतु किये गये व्यय को इकाई द्वारा अपने Audited Books of Accounts या Statutory auditor के रिपोर्ट में पूँजीगत व्यय (Capital expenditure) के रूप में दर्शाया गया हो एवं वैसे सामग्रियों पर किये गये व्यय को इकाई द्वारा अपने Profit & Loss Accounts में राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) के तौर पर दावा नहीं किया गया हो और उस पर Chartered Accountant की संपुष्टि आवश्यक है।"

5. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार-2011 की कंडिका-2(v)(क) का अंतिम वाक्य निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

" अनुदान की अधिकतम सीमा एस0पी0भी0 कंपनी के लिए 50 (पचास) करोड़ रु0 एवं अन्य कंपनी /इकाई के लिए 40(चालीस) करोड़ रु0 विनिश्चित होगी।

कैपटिव पावर जेनरेशन/डी0जी0 सेट के प्लांट एवं मशीनरी में यू0पी0एस0, इनभर्टर तथा स्टेबलाईजर भी शामिल होंगे।

वैसी इकाइयाँ, जो विद्युत कनेक्शन लिए वगैर डी0जी0 सेट/कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करती हैं, उनके लोड अवधारण के लिए एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा मनोनित उद्योग सेवा संवर्ग के अधिकारी(न्यूनतम ग्रेड पे रु0 7600), उद्योग मित्र द्वारा इम्पैनल्ड इलेक्ट्रीकल इंजीनियर (बी0ई0/पी0टेक0) एवं ऊर्जा विभाग के क्षेत्रीय इलेक्ट्रीकल इंजीनियर शामिल होंगे।"

6. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की परिशिष्ट-1(परिभाषाएँ) की कंडिका-7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-

"7 (क) विस्तार:- विद्यमान औद्योगिक इकाई का "विस्तार" से अभिप्रेत है उक्त इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मशीनरी में अतिरिक्त वृद्धि तथा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में कम-से-कम 50 प्रतिशत की वृद्धि;

(ख) विशाखन:- "विशाखन" से अभिप्रेत है विद्यमान औद्योगिक इकाई में अधिष्ठापित संयंत्र एवं मशीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का कम-से-कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मशीनरी में वृद्धि तथा इकाई द्वारा New Product Line स्थापित किया गया हो।

(ग) आधुनिकीकरण- "आधुनिकीकरण" से अभिप्रेत है विद्यमान औद्योगिक इकाई में अधिष्ठापित संयंत्र एवं मशीनरी के अनअवमूल्यित मूल्य का कम-से-कम 50 प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य का संयंत्र एवं मशीनरी में वृद्धि तथा इकाई के अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप कम-से-कम 25 प्रतिशत की वृद्धि;

(घ) प्रोत्साहन योग्य होने के लिए विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन करने वाली इकाइयों को जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जो लागू हो, को लघु एवं मध्यम उद्योग के संबंध में तथा उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास को वृहत् उद्योग के संबंध में विस्तार /आधुनिकीकरण /विशाखन कार्य आरम्भ करने के पूर्व सूचना भेजनी चाहिए। इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तावित अतिरिक्त पूँजी निवेश की निश्चित अवधि दर्शाते हुए विस्तार /आधुनिकीकरण/विशाखन का विवरणात्मक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए।"

7. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-4 की उप कंडिका-(iv) के बाद निम्नलिखित एक नई उप कंडिका- (ivक) अंतःस्थापित की जाएगी:-

“ (ivक) नई इकाइयों को भी विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण करने पर इन्क्रीमेंटल उत्पादन पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-2 एवं कंडिका-3 में वर्णित नई इकाइयों को अनुमान्य सुविधाएँ देय होंगी किंतु पूँजीगत अनुदान के मद में वृहत् उद्योगों के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 2.5 (दो दशमलव पाँच) करोड़ रू० तथा एम०एस०एम०ई० की औद्योगिक इकाइयों के विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण के लिए अधिकतम 1.25 (एक दशमलव दो पाँच) करोड़ रू० पूँजीगत अनुदान देय होगा।”

8. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका-4 अन्य सुविधाएँ की उप कंडिका- (v) के बाद निम्नलिखित एक नई उप कंडिका- (vi) जोड़ी जाएगी:-

“ (vi) औद्योगिक इकाइयों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से टर्मलोन लेने पर, लगने वाले ब्याज दर का 02 (दो) प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा (वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 7 (सात) वर्षों तक देय होगी)। अनुसूचित जाति/जन जाति/महिला एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों को विनिश्चित ब्याज दर के अतिरिक्त 5 प्रतिशत अधिक अनुदान ब्याज दर के रूप में देय होगा।”

9. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 के परिशिष्ट-II (वंचित इकाइयों की सूची) की कंडिका-2, 3 एवं 7 क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:-

“ 2. आटा मिलें जिनमें बेसन, दाल एवं चूड़ा मिलें सम्मिलित हैं(25 टन प्रतिदिन से कम क्षमता वाली)

3. मसाले, पापड़ इत्यादि बनाना(यांत्रिकीकृत तरीके से मसाले, पापड़ का निर्माण करने वाली इकाइयों को छोड़कर)

7. आईस कैंडी तथा आईस फ्रूट का उत्पादन (यांत्रिकीकृत तरीके से आईस कैंडी तथा आईस फ्रूट का उत्पादन करने वाली इकाई जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी में रू० 01 (एक) करोड़ या अधिक का निवेश हो, को छोड़कर)।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*Amiral*

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 09 /पटना, दिनांक- 05. 01. 15

सं०स०- डी०टी०डी०/०२-०४/२०१०

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी(सी०डी० में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय। साथ ही उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

*Amiral*

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 09 /पटना, दिनांक- 05. 01. 15

सं०स०- डी०टी०डी०/०२-०४/२०१०

प्रतिलिपि:- महालेखाकार(ले० एवं हक०), बिहार, पटना/कोषांगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषांगार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

*Amiral*

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ०९ /पटना, दिनांक-

संसां- डी०टी०डी०/०२-०४/२०१०

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/उद्योग विभाग के सभी निगम/ प्राधिकार/मंत्री उद्योग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Anibal*

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ०९ /पटना, दिनांक-

संसां- डी०टी०डी०/०२-०४/२०१०

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/निदेशक, एम०एस०एम०ई०डी०आई०, पाटलीपुत्रा, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव/अध्यक्ष, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लि०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

*Anibal*

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ०९ /पटना, दिनांक-

संसां- डी०टी०डी०/०२-०४/२०१०

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त के सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

*Anibal*

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ०९ /पटना, दिनांक-

संसां- डी०टी०डी०/०२-०४/२०१०

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ/अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज/अध्यक्ष, सी०आई०आई०, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

*Anibal*

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ०९ /पटना, दिनांक-

संसां- डी०टी०डी०/०२-०४/२०१०

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Anibal*

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

①